बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
<u>आदेश</u>

पटना, दिनांक–....................

संचिका संख्या–10/मु०–259/2025............................/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या–20151/2025 Madarsa Development Organization through its Co-ordinater Md. Safi Ansari एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–15.12.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह आदेश संसूचित किया जा रहा है।

2. याचिका संख्या–20151/2025 में दिनांक–15.12.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी पक्ष निम्न है–

"this Court finds that the consideration which was directed to be made by the Special Director, Secondary Education, Government of Bihar, has not been made strictly in consonance with the judgment rendered in L.P.A. No.43 of 2016 for which representation has already been filed and on perusal of the representation, it is quite evident that the petitioners have categorically mentioned that they are entitled to superannuation benefits still those facts have not been considered by the Special Director, Secondary Education, Government of Bihar, and therefore, this Court has no option but to set aside the impugned order and direct fresh consideration of the case of the petitioners in accordance with law within a period of six weeks form the date of representation with the copy of the order passed by this Court."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में वादीगण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में विभिन्न तिथि को मामले की सुनवाई की गयी। वादीगण के द्वारा अपना पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से रखा गया।

4. वादीगण द्वारा दावा किया गया है कि उनका मामला एल0पी0ए0 संख्या–43/2016 से आच्छादित है। वादीगण के द्वारा सरकारी विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के भांति वेतनमान, ग्रेड पे सहित चिकित्सीय भत्ता, गृह भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने की मांग की गई है।

5. एल0पी0ए0 संख्या–43/2016 में पारित न्यायादेश का संबंध पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ महंगाई भत्ता के साथ दिये जाने से संबंधित है। विभागीय संकल्प संख्या–1204 दिनांक 01.08.2023 के आलोक में अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा के कर्मियों हेतु पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 01.03.1989 से प्रभावी है तथा षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 01.04.2007 से प्रभावी है। इससे स्पष्ट है कि पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ ऐसे कर्मियों को देय होगा जो चतुर्थ वेतनमान की अवधि (दिनांक 01.04.1981 से 28.02.1989) में कार्यरत रहे हैं तथा षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ ऐसे कर्मियों को देय होगा जो पंचम वेतनमान की अवधि (दिनांक 01.03.1989 से 31.03.2007) में कार्यरत रहे हैं अर्थात एल0पी0ए0 संख्या–43/2016 के न्यायादेश अन्तर्गत पंचम एवं षष्टम्

वेतन पुनरीक्षण का लाभ अराजकीय मदरसा के मात्र वैसे कर्मियों को मिलेगा जिनकी विधिवत् नियुक्ति दिनांक 01.04.2007 से पूर्व हुई है।

6. वादीगण के मदरसा वैसे मदरसा हैं जिन्हें वर्ष 2013 एवं इसके उपरांत अनुदान की श्रेणी में लाया गया है। फलतः इन मदरसों में विधिवत नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी दिनांक 01.04.2007 के उपरांत हीं नियुक्त हैं। फलतः इन मदरसों में नियुक्त कर्मी एल0पी0ए0 संख्या–43/2016 में पारित न्यायादेश अंतर्गत पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण के लाभ के हकदार नहीं हैं।

7. एल0पी0ए0 संख्या–43/2016 में माननीय न्यायालय द्वारा यह भी न्यायादेश पारित किया गया है कि निजी प्रबंधन द्वारा संचालित मदरसा/विद्यालय के कर्मी सरकारी विद्यालय के कर्मी के समान नहीं है। पारित न्यायादेश द्वारा निजी प्रबंधन द्वारा संचालित मदरसा/विद्यालय के कर्मियों को सरकारी विद्यालय के कर्मियों के भांति सेवानिवृत्ति लाभ का हकदार भी नहीं कहा गया है।

8. अराजकीय प्रस्वीकृत एवं अनुदानित मदरसा में दिनांक 15.02.2011 से अथवा बाद में नियुक्त कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान दिये जाने से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या–230 दिनांक 05.09.2019 एवं 985 दिनांक 18.11.2020 निर्गत है।

9. फलतः वादीगण (अराजकीय 2459+1 कोटि के अनुदानित मदरसा) को विभागीय संकल्प संख्या–230 दिनांक 05.03.2019 एवं 985 दिनांक 18.11.2020 द्वारा प्रदत्त लाभ देय है। इसके अतिरिक्त इन्हें अन्य कोई लाभ यथा सरकारी विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के भांति वेतनमान, ग्रेड पे सहित चिकित्सीय भत्ता, गृह भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है।

10. अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय पत्रांक–1747 दिनांक 04.10.2024 को रद्द की जाती है तथा वर्णित स्थिति में वादीगण के दावा को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह0/–
(सचिन्द्र कुमार),
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10/मु०–259/2025...347... पटना, दिनांक–03-2-26

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली/Md. Safi Ansari, Son Of Md. Rafi Ansari, @ Mohammad Rafi Ansari, Resident Of Village-Dharampur, P.O. Samastipur, P.S. Samastipur Town, District Samastipur/ Md. Nazibullah, Son OfMustaque Alam, Resident Of Village- Bagaha, P.O. Bagaha, P.S.- Kusmar, District-Madhubani/Md. Shamim Ahmad, Son Of Md. Khalil, Resident Of Village And P.O.-Barhampur, P.S.- Ghoghardih, District- Madhubani/Md. Aftab Alam, Son Of Saidul Hassan, Resident Of Village And P.O.- KarktiaBujurg, P.S. Bhagwanpur, District- Vaishali आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.2.2026

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।